न्यायालय ए०एस०जे०, कोर्ट नं०–१
क्रि०रि०सं०–४९/२१

०१.०७.२०२२

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र १५अ नियत है। उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष को पूर्व में सुना जा चुका है, पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

प्रार्थनापत्र १५अ निगरानीकर्ता की ओर से अन्तर्गत धारा–३१० दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाद में एकपक्षीय रूप से निगरानीकर्ता के रिहायशी भवन को कुर्क कर सुपुर्दगार श्री अंकुश अग्रहरि को देने की कार्यवाही की गयी है तथा कुर्कशुदा रिहायशी मकान में रखे सामान की कोई फर्द नहीं बनायी गयी है। पुलिस की चालानी रिपोर्ट दिनांक ०७.११.१७, कुर्की आदेश दिनांक १६.११.१७ व सुपुर्दगी में देने की कार्यवाही दिनांक २०.११.१७ द्वितीय पक्ष व इलाका पुलिस की साजिश का नतीजा तथा असंवैधानिक है। द्वितीय पक्ष ने इलाका पुलिस की साजिश से कुर्कशुदा मकान में चोरी भी करवा ली है, जिसकी सूचना दिनांक ०८.०२.२१ को अधीनस्थ न्यायालय व जिम्मेदार अधिकारियों को दी गयी, किन्तु इलाका पुलिस प्रार्थनापत्र पर झूठी रिपोर्ट आला अफसरान व अधीनस्थ न्यायालय को देती रही, परिणामतः चोरी के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उक्त चोरी के सम्बन्ध में तहसीलदार खागा व एस०ओ० किशनपुर द्वारा दाखिल साजिशी रिपोर्टके विरुद्ध उसने लिखित आपत्ति दिनांक २६.०७.२१ को दाखिल किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से स्वयं स्थल का निरीक्षण करने हेतु दिनांक ०६.०८.२१ को प्रार्थनापत्र दिया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने स्थल निरीक्षण कर गुण दोष पर निर्णय पारित करने के बजाय उपरोक्त के अवैध कृत्यों पर पर्दा डालते हुये प्रश्नगत आदेश पारित किया। अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रि०रि०नं०–४०१६/१७ में पारित आदेश दिनांक ०२.०१.१८ एवं रिट पिटीशन नं०–६६०१/२०१७ में पारित आदेश दिनांक १८.१२.१८ के स्पष्ट आदेशों व निर्देशों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया है। इलाका पुलिस ने चोरी की घटना को कमजोर करने के लिए मामले के विचाराधीन रहते निगरानीकर्ता व उसकी माँ रश्मि अग्रवाल व छोटे भाई अंकित अग्रवाल के विरुद्ध धारा–१०७/११६ दं०प्र०सं० की कार्यवाही की, जिसमें धारा–१११ दं०प्र०सं० की नोटिस जारी हुई, जिसकी वैधता को चुनौती देते हुये उन्होंने अपनी आपत्ति दिनांक २६.०७.२१ को लगाते हुये अधीनस्थ न्यायालय से स्थल निरीक्षण करने तथा तब तक के लिए उक्त कार्यवाहियों को स्थगित रखने का अनुरोध किया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न ही स्थल निरीक्षण किया और न ही उक्त नोटिस की वैधता का निस्तारण किया तथा उससे कुर्कशुदा मकान में हुई चोरी के सामान की सूची अनधिकृत रूप से मांगी जाने लगी और उसके यह अवगत कराने पर कि कुर्की व सुपुर्दगी की कार्यवाही उसकी गैरमौजूदगी में हुई है और रिहायसी भवन में न्यायालय में ताला बन्द है, जब तक ताला खोलकर अन्दर का निरीक्षण न किया जाए वह यह बता पाने की स्थिति में नहीं है कि कौन सी चीज चोरी हुई है, कौन नहीं। कुर्कशुदा मकान में चोरी एक गम्भीर घटना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय में जो अवधारण व्यक्त की गयी है, वह स्वेच्छाचारी, अवैधानिक व पुलिस के कृत्यों पर पर्दा डालने का प्रयास है। उक्त आधारों पर विवाद ग्रस्त भवन का स्थल निरीक्षण प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं पर करने तथा पुनरीक्षण का निस्तारण गुण दोष पर करने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त प्रार्थनापत्र पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति की गयी है और यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत मामले में अवर न्यायालय द्वारा पारित कुर्की आदेश दिनांकित १६.११.२०१७ वर्तमान समय में प्रभावी है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कुर्की का आदेश की पुष्टि की जा चुकी है। इसलिए प्रार्थनापत्र निगरानीकर्ता १५अ अन्तर्गत धारा–३१० दं०प्र०सं० स्वीकार किए जाने का न तो पर्याप्त आधार है और न ही प्रश्नगत मामले मे अनुमन्य ही प्रतीत होता है, क्योंकि अवर न्यायालय का आदेश जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट हो चुका है, के विपरीत होगा।

निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–३१० दं०प्र०सं० स्थल

निरीक्षण कर कुर्कशुदा रिहायशी भवन का ताला खोलकर निरीक्षण कर यह दर्शित किए जाने हेतु दिया गया है कि आवेदक का कौन सा सामान चोरी हुआ और कौन सा नहीं, क्या कुर्कशुदा भवन पुनरीक्षणकर्ता के रिहायसी भवन का हिस्सा है और पुनरीक्षणकर्ता व उसके परिवारीजन रिहायसी भवन में आने जाने व उपभोग करने से वंचित हैं?

अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि दिनांक ०७.११.२०१७ को थाना किशनपुर द्वारा उपजिलाधिकारी तहसील खागा को रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–१४५ दं०प्र०सं० प्रेषित किया गया, जिसमें यह कथन किया गया कि ''जांच के दौरान ज्ञान हुआ कि विवादित मकान जो उभयक्षों के आवासित मकान से लगा हुआ है, विवादित मकान/स्थल को xxxxxx से दर्शाया गया है, जिसको दोनों पक्ष अपना अपना बताते हुये प्रथम पक्ष मकान के नीचे तथा द्वितीय पक्ष मकान की ऊपरी मंजिल पर कब्जे का दावा कर रहे हैं और आये दिन कब्जेदारी को लेकर अमादा फसाद रहते हैं। गोपनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि विवादित मकान/स्थल जो उपरोक्त पक्षों की पुश्तैनी होना बताया जा रहा है, जिसकी कब्जेदारी को लेकर किसी भी समय शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा–१०७/१५१/११६ दं०प्र०सं० दिनांक ०६.११.१७ को कार्यवाही की जा चुकी है।'' उक्त रिपोर्ट के साथ विवादित स्थल की नक्शा नजरी भी संलग्न किया है, जिसके आधार पर उपजिलाधिकारी खागा द्वारा वाद संख्या–१४/१७ अन्तर्गत धारा–१४५ दं०प्र०सं० दर्ज कर प्रथम पक्ष अमित कुमार अग्रवाल एवं द्वितीय पक्ष विपिन कुमार अग्रवाल को १३.१२.२०१७ को उपस्थित होकर अभिकथन करने हेतु नोटिस दिनांक १६.११.१७ को जारी किया गया और उक्त तिथि को ही शान्तिभंग होना सम्भाव्य पाते हुए रोकथाम के लिए निरोधात्मक कार्यवाही वांछनीय होना भी आदेशित किया। नक्शा नजरी जो दिनांक ०७.११.१७ को थाना किशनपुर द्वारा चालानी रिपोर्ट के साथ प्रेषित की गयी थी, में कस्बा किशनपुर के वार्ड नं०–६ थाना किशनपुर में कस्बा किशनपुर से लक्ष्मी जी के मन्दिर की तरफ जाने वाली सड़क के पश्चिम अवध किशोर अग्रवाल के मकान से सटे तरफ और द्वितीय तरफ विपिन अग्रवाल के मकान के बीच में विवादित स्थल को दर्शित किया है और विवादित स्थल के पीछे पश्चिम की तरफ प्रथम पक्ष अमित कुमार अग्रवाल का आवासित मकान दर्शित किया है। कस्बा किशनपुर की उक्त पक्की सड़क जो लक्ष्मी जी के मन्दिर को जाती है, के पूरब तरफ भी प्रथम पक्ष अमित कुमार अग्रवाल का आवासित मकान दर्शित किया गया है। दिनांक १६.११.१७ के आदेश के आलोक में थाना किशनपुर की पुलिस ने २०.११.१७ को विवादित मकान को अंकुश अग्रहरि को सुपुर्दगी में समक्ष गवाहान दे दिया, जिसके विरुद्ध २१.११.१७ को अमित कुमार अग्रवाल, रश्मि अग्रंवाल तथा अंकित अग्रवाल ने उपजिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र देकर कुर्कशुदा मकान को अपने हक में अवमुक्त करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया, जिस पर उपजिलाधिकारी द्वारा थाना किशनपुर से आख्या आहूत किया गया कि ''कृपया प्रार्थनापत्र को समग्र में लेकर यह सुनिश्चित करे कि क्या प्रार्थी वर्तमान में आवासहीन है? या यदि अन्यत्र घर न हो तो अनुपालन के लिए १३.१२.१७ के एक सप्ताह पूर्व तक का समय देकर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही कर अनुपालन करावे।'' दिनांक १३.१२.१७ को अमित कुमार अग्रवाल की ओर से पुनः आपत्ति दिया गया कि प्रार्थी के मकान को बिना आपत्ति व सुनवाई किए कुर्क किया गया है, इसलिए तुरन्त रिलीज किया जावे। अमित कुमार अगवाल की ओर से १६.११.१७ को उपजिलाधिकारी खागा द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष ०४.१२.१७ को निगरानी संख्या–१९५/१७ दाखिल किया, जो दिनांक १८.०८.१८ को निगरानी स्वीकार करते हुये तत्कालीन जनपद न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित १६.११.१७ अपास्त कर दिया गया। वर्ष २०१७ में ही अमित कुमार अग्रवाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भी रिवीजन संख्या–४०१६/२०१७ एस०डी०एम० के आदेश दिनांकित १६.११.१७ के विरुद्ध दाखिल किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक ०२.०१.१८ को खारिज कर दिया, लेकिन उक्त खारिजा आदेश को जनपद न्यायाधीश फतेहपुर के संज्ञान में लाये बिना निगरानी संख्या–१९५/१७ में १८.०८.१८ को आदेश पारित होने दिया और माननीय उच्च न्यायालय ने द्वितीय पक्ष विपिन कुमार अग्रवाल की ओर से दिनांक १८.०८.१८ को जनपद

न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध याचिका संख्या–६६०१/१८ दाखिल किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुये निगरानी संख्या–१९५/१७ में पारित आदेश दिनांकित १८.०८.१८ को अपास्त करते हुए प्रथम पक्ष पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया। इस प्रकार वर्तमान समय में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांकित १८.१२.१८ से स्पष्ट है कि उपजिलाधिकारी खागा द्वारा पारित आदेश दिनांक १६.११.१७ वर्तमान समय में भी प्रभावी है।

अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि वादी प्रथम पक्ष ने दिनांक २१.११.१७, १५.०७.१९, १६.०४.१९, १६.०७.२२, १५.०३.१८, १३.१२.१७, १२.०३.१८ विभिन्न तिथियों पर मकान खुलवाने या मकान का सामान अवमुक्त करने आदि के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय में दिया गया है तथा दिनांक २६.०७.२१ को पुनः प्रार्थनापत्र तहसीलदार खागा व थानाध्यक्ष किशनपुर की संयुक्त जांच आख्या को विश्वसनीय न मानते हुए न्यायालय स्वयं उभयपक्षों व अधिवक्ताओं की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर निरीक्षण मेमो तैयार कर दोषियों के विरुद्ध चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु दिया गया है, जिस पर दिनांक ३०.०९.२१ को अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते हुए यह अवधारित किया गया कि विवादित मकान के सम्बन्ध में स्वत्व निर्धारण का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक विवादित मकान के स्वत्व का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक किसी पक्ष में स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है और शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना बनी हुई है। ऐसी स्थिति में विवादित मकान से सम्बन्धित कुर्की आदेश १६.११.१७ को यथावत बहाल रखते हुये स्वत्व निर्धारण सम्बन्धी वाद के निस्तारण तक कार्यवाही स्थगित किया है।

इस प्रकार उपरोक्त प्रार्थनापत्रों तथा उस पर पारित आदेशों से परिलक्षित हेाता है कि निगरानीकर्ता अमित कुमार अग्रवाल द्वारा विवादित मकान के कुर्क किए जाने के बाद से ही प्रार्थनापत्र दाखिल कर येन–केन–प्रकारेण कुर्कशुदा मकान का ताला खुलवाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया जाता रहा है। चूँकि प्रश्नगत मामले में विवादित मकान की कुर्की का आदेश माननीय उच्च न्यायालय से भी पुष्ट हो चुका है। ऐसी दशा मे प्रार्थनापत्र ३१० दं०प्र०सं० को स्वीकार किया जाना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत होगा, जिसकी अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। परिणामतः प्रार्थनापत्र १५अ अन्तर्गत धारा–३१० दं०प्र०सं० बलहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र १५अ अमित कुमार अग्रवाल 'प्रथम पक्ष' अन्तर्गत धारा–३१० दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते सुनवाई पुनरीक्षण दिनांक ०७.०८.२२ को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–१,
फतेहपुर।